भारतीय बैंकिंग के पचास वर्ष – आधारभूत सांख्यिकीय विवरणियों की दृष्टि से*

माइकल देबब्रत पात्र

डॉ. आर.बी. बर्मन, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, श्री एस.एच. साओजी, डॉ. ए.के. नाग और अन्य पूर्व सहयोगी जिन्होंने आधारभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) प्रणाली में समृद्ध योगदान दिया, बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी - मुझे बैंकों के कई मुख्य अनुपालन अधिकारियों (सीसीओ) को देखकर खुशी हुई - रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक और अन्य सहयोगी, देवियों और सज्जनों,

आज, हम बीएसआर प्रणाली का 50वाँ वर्ष मना रहे हैं और आगे की राह पर विचार कर रहे हैं। कोई भी प्रणाली जिसने हमें आधी शताब्दी तक सेवा प्रदान की है, उसमें निश्चित रूप से अंतर्निहित ताकत और गहराई होगी। मेरा मानना है कि एक संपूर्ण डेटा संग्रह प्रणाली के रूप में, बीएसआर समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इतनी बड़ी प्रणाली का विकास और रखरखाव श्रमसाध्य कार्य है, कम शब्दों में कहें तो यह उभरती हुई वास्तविकताओं को लगातार शामिल करने की मांग करता है। इसके लिए मैं सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग या डीएसआईएम के अपने सहयोगियों को बधाई देता हूं। रिज़र्व बैंक ने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उसकी नीतियां डेटा-संचालित और डेटा-गहन हों। तदनुसार, रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे शुरुआती प्रकाशन, जिनमें से अधिकांश को अब डिजिटाइज़ किया गया है और हमारी वेबसाइट पर रखा गया है, नीति निर्माण के लिए सार्थक इनपुट प्रदान करने के साथ-साथ प्रसार के लिए सूचना एकत्र करने वाली प्रणालियों, जनगणना और सर्वेक्षणों पर रिज़र्व बैंक द्वारा पिछले दशकों की रूपरेखा तैयार करते हैं। यह एक 'सार्वजनिक वस्तु' के रूप में सूचना का व्यापक और समृद्ध भंडार। बीएसआर इस पवित्र इतिहास की एक केंद्रीय विशेषता है। वास्तव में, बीएसआर भारत में बैंकिंग के परिवर्तन को देखने वाला एक मूक प्रहरी रहा है, और यही आज मेरे संबोधन का विषय है।

भारत के लिए, बैंकिंग सेवाएं एक स्नेहक के रूप में काम करती हैं जो अर्थव्यवस्था के पहियों को घुमाती हैं। प्रारंभिक वर्षों में, कृषि वित्त, रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता बन गया, लेकिन वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन से नीतियों को बनाने के लिए व्यापक जानकारी का अभाव था। बहुत पहले अगस्त 1943 में, रिज़र्व बैंक ने सभी राज्य सरकारों को इस बारे में लिखा था और मैं उस पत्राचार को उद्धृत करता हूं, "युद्ध से पहले ऋणग्रस्तता की सीमा का पता लगाने हेतु विशिष्ट क्षेत्रों में नमूना जाँच तेजी से की गई; यह बाद के घटनाक्रमों से कैसे प्रभावित हुआ है; कृषकों और साहूकारों ने उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, पुराने ऋणों के परिसमापन के लिए आय के उपयोग के पक्ष और विपक्ष में क्या प्रवृत्तियाँ और कार्य हैं...। इसने भीतरी इलाकों में वित्त के चैनलों का विस्तृत मूल्यांकन दिया, जिसने औपचारिक क्रेडिट चैनलों तक पहुंच बढ़ाने के लिए नीतियों को प्रेरित किया। उन दिनों, किसानों और छोटे उद्यमों सहित वित्तीय रूप से ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर उनकी निर्भरता को कम करने के दृष्टिकोण से बैंकिंग के प्रसार को महत्व दिया गया था। इस प्रकार उन शुरुआती समय की बैंकिंग नीतियों में वित्तीय समावेश का एक सहवर्ती उद्देश्य था।

भारतीय बैंकिंग की प्रगति में अगला प्रमुख मील का पत्थर 1965 में शाखाओं की लाइसेंसिंग नीति का उदारीकरण था, ताकि बैंकों की अपनी शाखाओं को शहरों और प्रमुख शहरों में केंद्रित करने की प्रवृत्ति रोकी जा सके और सेवा से वंचित और कम सेवा वाले क्षेत्रों में शाखा नेटवर्क के विस्तार को बढ़ावा दिया जा सके। क्षेत्रों। इस सुधार के माध्यम से कृषि और लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए ऋण पर ध्यान दिया गया। इन प्रारंभिक घटनाक्रमों ने 1967 में राष्ट्रीय ऋण परिषद की स्थापना हुई। यह अखिल भारतीय आधार पर ऋण प्राथमिकताओं का आकलन करने के

---

* 28 अक्टूबर 2022 को मुंबई में बैंक द्वारा आयोजित 'बीएसआर@50' पर आयोजित सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, माइकल देबब्रत पात्र द्वारा दिया गया भाषण। ओम प्रकाश मल्ल की पूर्व टिप्पणी, राजेंद्र रघुमंदा और दिब्येंदु भौमिक से प्राप्त बहुमूल्य जानकारी और विनीत कुमार श्रीवास्तव के संपादन सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है।

लिए एक मंच बन गया ताकि ऋण के आबंटन में रिज़र्व बैंक और सरकार की सहायता की जा सके। इस परिषद को कई रिपोर्टिंग प्रणालियों से क्रेडिट डेटा का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि समग्र स्तर की विनियामक रिपोर्टिंग में वांछित आयाम[1] शामिल नहीं थे, परंतु यह अगली चुनौती बन गई।

1969 में प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था "राष्ट्रीय नीति और उद्देश्यों के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की जरूरतों को उत्तरोत्तर पूरा करना और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों में बेहतर सेवा प्रदान करना"[2]। यह अगला पड़ाव बना। इस परिवेश में, बीएसआर प्रणाली को - "न्यूनतम समय-अंतराल के साथ काफी व्यापक जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बैंकिंग डेटा की रिपोर्टिंग को व्यवस्थित करने के लिए नियोजित प्रयास के रूप में पेश किया गया था, ... ताकि क्रेडिट पैटर्न में विविधता लाने की नई नीति को अधिक निश्चित आकार दिया जा सके"[3]।

तब से, बीएसआर प्रणाली उपयोगी आँकड़ों की एक विस्तृत शृंखला के साथ एक मज़बूत और व्यापक रिपोर्टिंग प्रणाली में तब्दील हो गई है। बैंक शाखा के आँकड़ों के साथ संयुक्त रूप से [लोकप्रिय रूप से इसे मास्टर ऑफिस फाइल या एमओएफ सिस्टम के रूप में जाना जाता है] इसने राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली के में सहयोग किया है। इसने बढ़ते बैंक शाखा नेटवर्क और जनता की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को ट्रैक करके वित्तीय समावेश पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद वित्तीय संस्थानों की परस्पर संबद्धता का आकलन करने के लिए ग्रैनुलर स्तर के वित्तीय डेटा संग्रहण और विश्लेषण प्राथमिकता के संदर्भ में आगे लाया गया था। एक बार फिर, बीएसआर प्रणाली इस जरूरत से पहले ही साधन संपन्न और मजबूत साबित है।

वर्षों से, नवाचारों और मांग की आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप बीएसआर प्रणाली में कवरेज, आवधिकता, ग्रैन्युलैरिटी और संदर्भ तिथियों के संदर्भ में कई संशोधन हुए हैं। यह अनसुना इतिहास आज जारी हो रहे 'कमेमोरेटिव वॉल्यूम' में शामिल है। आंकड़ों की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। बीएसआर 3, 4, 5, 6 और 8 को बंद कर दिया गया है। बैंकों पर रिपोर्टिंग के बोझ को कम करने के लिए हम मार्च 2023 से त्रैमासिक बीएसआर 7 रिपोर्टिंग को बंद करने की भी योजना बना रहे हैं। हमारे पास केवल दो बीएसआर होंगे - क्रेडिट पर बीएसआर 1 और डीपॉजिट पर बीएसआर 2। दोनों त्रैमासिक होंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) वार्षिक अवधि पर रिपोर्ट करना जारी रखेंगे।

रिज़र्व बैंक में हम बीएसआर को जीवंत प्रतिफल के रूप में मानते हैं जो अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तनों के प्रति लगातार सजग हैं और शीघ्र अनुकूलन और समावेश के लिए तैयार हैं। मैं आपको बीएसआर की उपलब्धियों का बोध कराता हूं। अभी हमारे पास प्रत्येक नौ हजार नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक बैंक शाखा है, जो 1972 में प्रति चालीस हजार नागरिकों पर एक शाखा से बहुत आगे है। वाणिज्यिक बैंक 1.75 लाख से अधिक एटीएम सहित लगभग 2.25 लाख ग्राहक सेवा केंद्रों का रखरखाव करते हैं। सहकारी बैंकों के पास शाखाओं और एटीएम का एक महत्वपूर्ण नेटवर्क भी है। इसके अलावा, नौ लाख से अधिक फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) बैंकिंग सेवाओं को वर्चुअली आपके दरवाजे तक लाते हैं। डिजिटल बैंकिंग यथार्थ बन गया है।

बैंकिंग नेटवर्क की पहुंच और प्रसार ने अर्थव्यवस्था में वित्तीय संसाधनों के संघटन में सुधार किया है। प्रति हजार

---

[1] उदाहरण के लिए, जहाँ, प्रत्येक बैंक कार्यालय में 'यूनिफ़ॉर्म बैलेंस बुक' (यूबीबी) शुरू की गई है, जिसमें खाते के प्रकार, उधारकर्ता के प्रकार, कारोबार, उद्देश्य, मंजूर ऋण सीमा और बकाया अग्रिमों के संबंध में खाता-वार जानकारी की मासिक रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। प्रतिभूति, और प्रभारित ब्याज दर, इसे (i) बैंक अग्रिमों के प्रयोजन-वार वितरण पर वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा अनुपूरित किया जाना था; (ii) जमाराशियों और अग्रिमों पर ब्याज दरों का अर्धवार्षिक सर्वेक्षण; और (iii) बैंक अग्रिमों के सुरक्षा-वार वर्गीकरण पर मध्य-मासिक सर्वेक्षण।

[2] बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970।

[3] बैंकिंग सांख्यिकी पर समिति की तीसरी रिपोर्ट (अध्यक्ष: ए. रमन), आरबीआई, अगस्त 1972। बीएसआर प्रणाली ने यूबीबी प्रणाली और बैंकों द्वारा आरबीआई को अन्य नियमित और तदर्थ रिपोर्टिंग की जगह ले ली।

जनसंख्या पर जमा खातों की संख्या 1972 में 43 से बढ़कर अब 1,600 से अधिक हो गई है। वर्तमान में, परिवारों की जमाराशि, कुल बैंक जमाराशि का 63 प्रतिशत है। यह, 1972 से 2022 की अवधि में प्रति व्यक्ति बैंक जमाराशि के अनुपात में 15.8 प्रतिशत से 71.2 प्रतिशत तक और प्रति व्यक्ति ऋण के अनुपात में 12.2 प्रतिशत से 51.3 प्रतिशत की वृद्धि से परिलक्षित होता है। ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों की शाखाओं ने इस विशाल वित्तीय विमध्यस्थीकरण में योगदान दिया है।

वित्तीय विमध्यस्थीकरण के पैटर्न भी बदल रहे हैं। उद्योग, बैंक ऋण का एक प्रमुख प्राप्तकर्ता रहा है, लेकिन 1972-2022 के दौरान कुल ऋण में इसका हिस्सा 60 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत हो गया है, जो मोटे तौर पर सेवाओं और वैयक्तिक ऋणों के बराबर है। वैयक्तिक ऋण खंड में, 2000 में 10 प्रतिशत से कम हिस्सेदारी की तुलना में अब व्यक्तियों द्वारा उधार लेने की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है। इसने एक अनूठी घटना की शुरुआत की है - छोटे ऋणों का हिस्सा - ₹10 करोड़ तक - कुल ऋणों में 2014 में 45 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 60 प्रतिशत हो गया है। इस परिवर्तन ने मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन और ऋणों के मूल्य निर्धारण में संबद्ध परिवर्तनों को भी शुरु किया है। ऋण देने के पक्ष में एक विशेषता जिसने बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित किया है वह है सावधि ऋण देने वाली संस्थाओं की कम भूमिका और अल्पकालिक वित्तपोषण के नए रास्ते के साथ कॉर्पोरेट ट्रेजरीयों का उभरना। इसके परिणामस्वरूप (क) दीर्घावधि निधियों के लिए बैंकों पर निर्भरता बढ़ी है; और (बी) कुल ऋणों में कार्यशील पूंजी के हिस्से में धीरे-धीरे कमी आई है। कुल ऋणों का 65 प्रतिशत हिस्सा सावधि ऋण होने के कारण बैंकों के परिसंपत्ति पोर्टफोलियो का विस्तार हुआ है।

अंत में, मैं कहूंगा कि यह परिवर्तन अवसर लेकर आया है क्योंकि भारत जो पहले ही दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक संवृद्धि का अगुआ बनने के लिए तैयार है (2022 में वैश्विक संवृद्धि में दूसरा सबसे बड़ा योगदान)। वर्ष 2025-26 तक भारत, जर्मनी की बराबरी कर लेगा और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2027 तक, यह जापान को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। भारत की आबादी अगले साल दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे कम उम्र की हो जाएगी। यह दुनिया की सबसे अच्छी वित्तीय विमध्यस्थीकरण सेवाओं की मांग करेगा। इस परिवर्तन में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सूचना, इस उभरते हुए परिदृश्य में जगह बनाएगी। चूँकि हम अतीत के लाभों को समेकित कर नई चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यह हमारे यानी, सभी हितधारकों की जिम्मेदारी है कि बीएसआर प्रणाली को मजबूत, समयबद्ध, व्यापक और बदलाव के लिए खुला रखा जाए। आज का सम्मेलन हमें आगे आने वाले इस अनछुए पहलुओं के लिए तैयारी करने का अवसर प्रदान करता है।

धन्यवाद !